जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
167/15
A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 167/2015 अनवानी श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट वी.पी.ओ. गोलूवाला निवादान वार्ड न0 2 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम तहसीलदार, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.03.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्रकुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सादुलशहर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी राजेन्द्रकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2015(रिसीप्ट दि0 07.08.15) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी , जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर निम्न सूचना चाही थी:–

दिनांक 18.05.15 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमानजी को चक 9 बीएनडबल्यू की कृषि भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करने बाबत भेजा गया उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई यदि कोई कार्यवाही नही हुई तो क्या कारण रहा कार्यवाही नही होने की सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी राजेन्द्रकुमार ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.08.2015 को एक प्रा0 पत्र चक 9 बी.एन.डबल्यू की कृषि भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करने बाबत जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भेजा गया था उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में जिला कलक्टर (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2015 के सन्दर्भ में पत्र सं0 6034 दिनांक 14.08.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि उसका आवेदन पत्र क्रमांक 353 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा तहसीलदार सादुलशहर को नियमानुसार कार्यवाही के लिए भिजवा दिया गया है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा आज तक कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार राजस्व सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1851 दिनांक 30.11.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके कार्यालय की भू अभिलेख शाखा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत श्री राजेन्द्रकुमार को पत्रांक 2570 दिनांक 16.09.2015 द्वारा सूचना भेज दी गई है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पत्र सं0 2570 दिनांक 16.09.15 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

आपने चक 9 बीएनडबल्यू की कृषि भूमि का विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करने बाबत भेजा था इसके संबंध में पटवारी हल्का को भिजवा दिया गया था उसकी पालना में पटवारी हल्का ने लिखा कि खातेदार द्वारा वसीयत की गई है अतः बिना विधिवत प्रक्रिया इन्तकाल दर्ज किया जाना सम्भव नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

167/15
83/2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 16.09.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर